कौशल विकास के परिणाम के रूप में महिला सशक्तिकरण

कुमारी भारती1*, डॉ चंद्रकान्त चावला2

¹ पीएच.डी शोधकर्ता, सनराईस विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

² सह - प्राध्यापक (समाजशास्त्र), कला विभाग, सनराईस विश्वविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

सार - मिहला संशक्तिकरण किसी भी देश के 'प्रभावी विकास' के लिए सबसे बड़े साधनों में से एक है। इसका मतलब है कि मिहलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और लिंग आधारित भेदभाव के दुष्चक्र से आजादी है। मिहलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उनमें विश्वास विकसित करना - एक केंद्रीय मुद्दा है। उनके लिए कुशल होना जरूरी है तािक वे घर पर और साथ ही पेशेवर रूप से अपने परिवारों की बेहतर सेवा कर सकें। कौशल विकास केवल रोजगार के अवसर ही पैदा नहीं करता बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाता है। मिहलाओं के मामले में कौशल विकास का उद्देश्य है : न केवल उन्हें केवल नौकरियों के लिए तैयार करना ; लेकिन काम की गुणवता में सुधार करके उनके प्रदर्शन को बढ़ावा देना भी शामिल हैं। यह पेपर मिहला सशक्तिकरण पर कौशल विकास के प्रभाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। मिहलाओं को सशक्त बनाने की मूलभूत आवश्यकता उनके कौशल और क्षमताओं को विकसित करना तािक उनका समग्र व्यक्तित्व का आकार बने और वे समाज के भीतर अपनी स्थिति बढ़ाएं।

विशेष शब्द - महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, समावेशी विकास

परिचय

परिवार और समाज के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। पिछले कुछ दशकों से वे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके प्रयासों को मान्यता नहीं मिली है। इस में प्रष प्रधान समाज , वे अभी भी सामाजिक , आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में भेदभाव के अधीन हैं। महिलाएं न केवल अपने परिवार का प्रबंधन कर रही हैं बल्कि संपूर्ण समाज विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उनमें विश्वास पैदा करना - एक केंद्रीय मृद्दा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है उन्हें अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता या शक्ति देना। यह उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए अपने कौशल , ज्ञान और क्षमताओं की पहचान करने की अन्मति देता है। यह एक गतिशील और विकास प्रक्रिया है जिसमें जागरूकता और कौशल की प्राप्ति शामिल है। किसी भी समाज में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए

महिला सशक्तिकरण जरूरी है। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे खुद को आत्मविश्वास और सम्मान से पहचानें। सशक्तिकरण का मुख्य पहलू उनके जीवन को नियंत्रित कर उन्हें आंतरिक शक्ति का अहसास दिलाना है। महिलाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान ही उनके सशक्तिकरण का पैमाना है। महिला सशक्तिकरण को दो स्तरों के आधार पर मापा जा सकता है - व्यक्तिगत और सामूहिक (जैसा कि चार्ट में उल्लेख किया गया है)।

व्यक्तिगत स्तर	साम्हिक स्तर
स्वप्रतिबिम्ब , आत्मविश्वास,	अपने जीवन का समग्र नियंत्रण लें
आत्म-सम्मान , आत्मसम्मान	और अपना एजेंडा निर्धारित करें
-	समाज में अपनी स्थिति को बदलकर

कौशल विकास कार्यक्रम सफलता की एक कुंजी है जो उत्पादकता, रोजगार और कमाई के अवसरों में सुधार करता है। यह नौकरी और कार्यबल के बीच का सेतु है।
आज, महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास
कार्यक्रमों को एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य उपकरण के रूप
में माना जाता है। भारतीय महिलाओं को कौशल और
उत्पादक रोजगार तक पहुंचने के लिए अधिकांश बाधाओं का
सामना करना पड़ता है। आर्थिक समृद्धि पैदा करने के
लिए एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए एक बड़े प्रयास की
आवश्यकता है। उद्देश्य कौशल विकास, महिलाओं के मामले
में, केवल उन्हें नौकरियों के लिए तैयार नहीं कर रहा है;
लेकिन यह भी उनके बढ़ावा देने के लिएकाम की गुणवता में
सुधार करके प्रदर्शन जिसमें वे शामिल हैं। भूमिका के महत्व
को देखते हुए महिलाएं एक राष्ट्र के विकास में खेलती हैं,
कोई भी समझ सकता है कि उस दिशा में जाने के लिए

महिलाओं के लिए कौशल विकास

महिलाओं ने साम्दायिक विकास में अपनी क्षमता दिखाई है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि महिलाएं कौशल विकास का हिस्सा बनें । भारत में , महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में भाग ले रही हैं जैसे - शिक्षा , कला और संस्कृति, सेवा क्षेत्र, खेल, राजनीति, मीडिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वे कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं - लेकिन क्ल श्रम शक्ति में महिलाओं की कार्य प्रतिशत दर में गिरावट आ रही है। उनमें से अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं की एक बड़ी संख्या है। यह महिलाओं के लिए रोजगार कार्यबल के अवसरों और कौशल की कमी को दर्शाता है। वर्तमान में , भारत में अधिकांश महिला कार्यबल अकुशल है। उन्हें अपने कौशल जीवन को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है - जो उन्हें अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बेहतर आजीविका और आत्मविश्वास के साथ उच्च भ्गतान वाली नौकरियां देगा। यह आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर होने की उनकी क्षमता और ग्णवता का विकास करेगा । य यह देखा गया है, कि प्रशिक्षण की अवधारणा

यह देखा गया है , कि प्रशिक्षण और कौशल विकास की अवधारणा तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने साथ साक्षरता, संख्यात्मकता, राजनीतिक और जीवन कौशल पर भी ध्यान से आगे बढ़ने की जरूरत है |

कुछ कौशल जो प्रशिक्षण संस्थानों को महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदान करने चाहिए:

संचार कौशल

- व्यापार शिष्टाचार
- भाषा विकास
- व्यक्तित्व विकास
- नेतृत्व कौशल
- प्रबंधन कौशल
- उद्यमिता कौशल
- ब्नियादी लेखा कौशल
- बुनियादी कंप्यूटर कौशल

भारत सरकार ने 'महिला सशक्तिकरण' के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की है - जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के भीतर महिलाओं का समग्र विकास हो। वे महिलाओं को कौशल प्रदान करना चाहते हैं तािक वे खड़े हो सकें और खुद के लिए समर्थन और समाज भीतर स्थिति हासिल कर सके । दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है - महिला सशक्तिकरण के लिए 'कौशल सखी'। उनका मुख्य उद्देश्य न केवल रोजगार के अवसर पैदा करना है बिल्क महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी ज़ोर देना है । वे कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई घर की सजावट के सामान शामिल है | मिशन - 'स्किल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' केवल तभी सफल होंगे जब महिलाएं हाथ में हाथ मिलाकर काम करती रहे |

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला प्रशिक्षण देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना है।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डब्ल्यूवीटीपी) को आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए 1977 में तैयार और प्रारंभ किया गया था। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी यह परियोजना स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट आथिरिटी (एसआईडीए) तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की सहायता से मार्च, 1977 में तैयार की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे व्यावसायिक ट्रेडों की पहचान की गई थी, जो

विशेष रूप से महिलाओं और उनकी कार्यान्वयन योजना के लिए उपर्युक्त हों।

महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदेशकों के रूप में उद्योग में मजद्री रोजगार के लिए महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है और उनको स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है।

कार्यक्रम की पेशकश:

- शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) वे अंतर्गत औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण
- शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम
 (सीआईटीएस) के अंतर्गत अनुदेशक कौशल
 प्रशिक्षण
- 3. मांग आधारित अल्वपाधि पाठ्यक्रम
- आईटीआई के अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम
- उद्योग की मांग के अनुसार आवश्यकता के अन्रूप पाठ्यक्रम
- मिहला प्रशिक्षण के अंतर्गत मिहलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (तत्कालीन राष्ट्रीय /क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान), डीजीटी

महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 11 संस्थाओं - नोएडा में (1) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान एनवीटीआई) और म्ंबई (1977), बेंगल्रू (1977), तिरूवंतपुरम (1983), कोलकाता (1986), तुरा (1986), पानीपत (1986), इलाहाबाद (1991), (1992), वड़ोदरा (1993) तथा जयप्र (1994) में 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से किया गया था। इन महिला संस्थाओं का नाम बदलकर "महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान" (महिलाओं के लिए एनएसटीआई) कर दिया गया है। यह संस्थान सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्यरत हैं। कौशल प्रशिक्षण सीटीएस (शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम) के माध्यम और सीआईटीएस (शिल्कापर अन्देशक प्रशिक्षण स्कीम)

पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

एनएसटीआई (म.) (तत्कालीन एनवीटीआई /आरवीटीआई) कार्यालय प्रबंधन , इलैक्ट्रोनिक्स सचिवालय कार्य , वास्तु शिल्प, कंप्यूटर, परिधान निर्माण, कोसमेटोलॉजी, फल और सब्जी प्रसंस्करण, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, सर्फेस आर्नामेंटेशन तकनीक, फेशन डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी , केटरिंग एवं हॉस्पिटलिटी, सिलाई प्रौद्योगिकी , ट्रेवल एवं टूर , कंप्यूटर समर्थित कढ़ाई एवं डिजाइनिंग , खाद्य एवं पेय सहायता , खाद्य उत्पादन (सामान्य), ड्राफ्टसमैन सिविल और इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइनिंग आदि जैसे क्षेत्रों में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) तथा शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) के अंतर्गत एनसीवीटी अनुमोदित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। दीर्घाविध प्रशिक्षण के अलावा अल्पकालिक प्रशिक्षण भी ऊपर उल्लिखित ट्रेडों में 18 एनएसटीआई (म.) में प्रदान किया जाता है।

2019-20 में इन एनएसटीआई (म|) में कुल 4445 नियमित सीटें (2731 सीटीएस+ 1714 सीआईटीएस) स्वीकृत की गई हैं। अधिक मांग वाले पाठ्यक्रमों में दूसरी शिफ्ट भी चलाई जा रही है। यह पाठ्यक्रम 1 से 2 वर्षों की अविध के हैं और वार्षिक प्रणाली में संचालित किए जाते हैं।

उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षार्थियों को परिसर में साक्षात्कार आयोजित करके तैनाती सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षार्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए उन्हें सहायता देने के लिए उनकी मदद भी की जा रही है। एनएसटीआई (म|) द्वारा परिसर के बाहर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिक्षुओं को प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सभी एनएसटीआई (म|) को प्राथमिक प्रशिक्षण प्रदाता (वीटीपी) के रूप में पंजीकृत किया गया है।

अध्ययन की समीक्षा

ममता मोक्ता (2014) ने पाया कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपना रास्ता खोजने की जरूरत है। वे स्वयं सहायता समूहों , गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म सरकारी नीतियों , वित्त संस्थानों द्वारा विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ।

प्रसन्ना कुमार (2014) ने कहा कि उन क्षेत्रों की पहचान करना हमारी आवश्यकता है जहां महिलाएं अभी भी समस्याओं का सामना कर रही हैं और संसाधनों , संस्थागत ज्ञान और ब्नियादी शिक्षा तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

सक्सेना वन्दना (2013) इन्होनें अपने लेख में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पतनशील उपभोक्तावादी संस्कृति , रूढियाँ, अंधविश्वासों , कुपरम्पराओं को रोका जाना चाहिए जो महिलाओं के व्यक्तित्व विकास में बाधा हो आरै उनके सशक्तिकरण के मार्ग में रोड़ा हो । अगर पुरूष वर्ग सवंदनशीलता एवं सकंल्प के साथ महिलाओं को सहयोग प्रदान करे तो महिलाएं खदु- ब- खुद सशक्त हो जायेगी , तब शायद सशक्तिकरण वर्ष मनाना भी न पड़े। इसके लिए यह आवश्यक है कि पुरूष महिलाओं को प्रतिद्वंदी नहीं सहयोगी समझे । इसके लिए विभाग ने महिलाओं के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम व दिन घोषित किया है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण सार्थक सिद्ध हो सके।

उपाध्याय (डॉ.) आशा व शर्मा गुंजन (2013) हालांकि राष्ट्रीय और अर्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला सगंठन महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे है, फिर भी इनमें दिनों - दिन वृद्धि क्यों हो रही है ? समान अधिकार के बावजद् समाज इस भदे भाव व दमन को क्यों सह रहा है ? समस्या के सही समाधान के लिए पृथक अस्तित्व चेतना तथा अधिकार चेतना के साथ कर्तव्य चेतना को भी मिलाकर चलना होगा , तभी एक संतुलित दृष्टि और व्यावहारिक समाधान खोजा जा सकता है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के कई कार्यक्रम संचालित हो रहे है जिससे ऐसा करना संभव हो पायेगा

अंजिल व्यास (2018) ने प्रचार किया कि महिलाओं को जीवन कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से वे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बेहतर आजीविका और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकते हैं।

गोपिकला के .(2012) के अनुसार महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता और सूचना कौशल को बढ़ावा देने के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। महिलाओं के कौशल पर जोर देने वाले दृष्टिकोण के साथ जागरूकता उनकी बचत और निवेश को बढ़ावा देने की जरुरत है जिससे उनकी सफल आर्थिक स्थिति पैदा हो सके।

उद्देश्य

पेपर का मूल उद्देश्य है :

- महिला सशक्तिकरण पर कौशल विकास के प्रभाव का निर्धारण करना |
- भविष्य के विकास के लिए संभावित समाधान सुझाना |

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तावित अध्ययन मुख्यतः वर्णनात्मक प्रकृति का है। किया गया शोध द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। यहाँ , महिला सशक्तिकरण पर कौशल विकास के प्रभाव को समझने के लिए डाटा विभिन्न शोध पत्रिकाओं , वेबसाइटों और लेखों से एकत्र किया । संगठनों द्वारा अपनाई गई कुछ प्रथाओं की पहचान की गई है।यह पेपर मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण में कौशल विकास के प्रभाव पर केंद्रित है।

जाँच - परिणाम

अध्ययन में पाया गया कि सरकार और उसके एजेंसी भागीदारों द्वारा महिलाओं के कौशल विकास को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न उपाय/पहल किए हैं। महिला सशक्तिकरण पर कौशल विकास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इसने महिला कार्यबल की छवि को बदल दिया है। परिणाम हैं:

 अधिकांश मिहलाओं ने परिधान निर्माण , कपड़े
 की पेंटिंग, जरदोजी काम, हाथ की कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, आदि के बाजार पर कब्जा कर लिया है।

- उन्होंने आय के अच्छे स्तर के साथ अपनी लघु
 व्यवसाय इकाइयाँ शुरू की हैं।
- संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में 12% की वृद्धि हुई है|
- रोजगार योग्यता कौशल के साथ , अब उनके लिए प्रस्तुत करना , संवाद करना और विश्लेषण करना आसान हो गया है।
- कौशल विकास ने देश में महिला उद्यमियों की संख्या में वृद्धि की है |
- इसने उन्हें शारीरिक श्रम से डेस्क जॉब में स्थानांतरित करने में मदद की है।

उचित कौशल प्राप्त करने के बाद भी महिलाओं द्वारा समस्याओं का सामना करना :

उचित प्रशिक्षण के बाद भी, महिलाओं के लिए नौकरी पाना आसान नहीं है ; इसके निम्नलिखित कारण है :

- तैंगिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक मुद्दों और लंबे समय तक काम करने के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा।
- जल्दी विवाह और पारंपिरक प्रोटोकॉल , उन्हें अपने जीविका पथ में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की अनुमित नहीं देता |
- नौकरी मिलने के बाद भी कई महिलाओं को पुरुषों
 की तुलना में कम वेतन मिलता है|
- इसके साथ ही महिला सुरक्षा एक बार फिर लगातार मुद्दा है जो महिलाओं को पीछे खींचती है
- कुशल महिलाओं को वितीय सहायता अभी भी एक बड़ा मृद्दा है |

सुझाव

भारत सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है , लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के लिए कौशल की पहुंच के मामले में यह अभी भी अन्य देशों की तुलना में पीछे है। स्थिति में सुधार के सुझाव हैं:

- महिलाओं के लिए अधिक सीटें सृजित करके नीतियों में स्धार करने की आवश्यकता है |
- महिला सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कौशल-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने से उन्हें अधिक अवसर मिलेंगे।
 अपना जीवन यापन करें और आत्मनिर्भर बनें।
- स्थानीय परंपराएं और रीति-रिवाज समझ के साथ जेंडर दृष्टिकोण से प्रशिक्षण नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है|
- स्थायी रोजगार के अवसरों के साथ दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करना।

विभिन्न क्षेत्र जिनमें महिलाएं बेहतर सशक्तिकरण के लिए कौशल हासिल कर सकती हैं, वे हैं:

- बैंकिंग और वितीय सेवाएं
- मीडिया उद्योग
- दूरसंचार उद्योग
- सूचना प्रौद्योगिकी
- प्रबंधन फार्मास्यूटिकल्स
- आतिथ्य उद्योग
- यात्रा और पर्यटन
- इलेक्ट्रॉनिक्स
- बाल देखभाल

निष्कर्ष

यह देखा गया है कि महिलाओं के कौशल विकास के लिए लिंग-प्रतिक्रियात्मक रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है जो पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सशक्त बनाना है |अवसर मिलने पर महिलाएं प्रबंधन करने में सक्षम हैं। उनको सम्मान, पवित्रता, गरिमा और समान अधिकारों के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए | हमें केवल सही दिशा में केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है जो महिलाओं को सभी प्रकार की बुराई से मुक्ति करे । जितना भारत अधिक से अधिक ज्ञान अर्थव्यवस्था 'की ओर बढ़ता है , इसके लिए उतना ही उन्नित पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। जनसांख्यिकीय लाभांश बदलने के लिए , एक कुशल कौशल विकास प्रणाली समय की मांग है। प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 का उचित ढंग से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। कौशल विकास कार्यक्रमों का उचित ढंग से सरकार को प्रचार एवं प्रसार करना होगा जिसके द्वारा महिलायें अधिक से अधिक हुनरमन्द होकर आत्मिनभर हो सकें।

संदर्भ

- धुबा हजारिका (2011) , "भारत में महिला सशक्तिकरण: एक संक्षिप्त चर्चा" , इंटरनेशनल जर्नल ऑफ शैक्षिक योजना और प्रशासन। आईएसएसएन 2249-3093 खंड 1 , संख्या 3 (2011), पीपी. 199-202
- कित्र परवीन (2014) , "कार्यशाला प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों का विकास" , प्रबंधन विज्ञान के अनुसंधान जर्नल , आईएसएसएन 2319-1171, वॉल्यूम। 3(2) , 15-18, फरवरी (2014) Res. जे. प्रबंधन विज्ञान।
- ममता मुक्ता (2014) , "भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण" , इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक प्रशासन , 474 / वॉल्यूम। एलएक्स, नहीं। 3 , जुलाई-सितंबर 2014 , पृष्ठ संख्या, 473-488
- 4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (2012) , "कौशल मामले", न्यूज़लेटर अंक संख्या 12, मार्च 2012
- प्रसन्ना कुमार (2014), "भारत में ग्रामीण महिला अधिकारिता", एशियन जर्नल ऑफ़

- मल्टीडिसिप्लिनरी अध्ययन , खंड 2 , अंक 1 , जनवरी 2014 आईएसएसएन: 2321-8819
- 6. उन्नी, जीमोल और उमा रानी (2004)। भारत में तकनीकी परिवर्तन और कार्यबल: कौशल पक्षपाती विकास? इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स , वॉल्यूम 47 (4)।
- 7. विजया अनुराधा , और लोकनाधा रेड्डी (2013) ,
 "व्यावसायिक के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का
 सशक्तिकरण" शिक्षा और प्रशिक्षण" , कन्फलक्स
 जर्नल ऑफ एजुकेशन आईएसएसएन 23209305 खंड 1, अंक 2, जुलाई 2013 |

Corresponding Author

क्मारी भारती*

पीएच.डी शोधकर्ता , सनराईस विश्वविद्यालय , अलवर (राजस्थान)